सत्यमेव जयते

भारत सरकार

बजट की

मुख्य

विशेषताएं

2026-2027

फरवरी, 2026

वित्त मंत्रालय

बजट प्रभाग

भारत की आर्थिक गति

विकसित भारत, समावेशन के साथ महत्वाकांक्षा का संतुलन

- संशय के स्थान पर कार्रवाई
- वाकपटुता के स्थान पर सुधार
- लोक लुभावन दिखावे के स्थान पर जनहित को प्राथमिकता

लक्ष्य

- आकांक्षा को उपलब्धि में रूपांतरित करना
- क्षमता को प्रदर्शन में बदलना

स्थायित्व

राजकोषीय अनुशासन

संधारणीय वृद्धि

कम मुद्रास्फीति

लगभग 7% की उच्च विकास दर

- ऊर्जा सुरक्षा
- महत्वपूर्ण आयात पर कम निर्भरता
- दूरगामी संरचनात्मक सुधार
- राजकोषीय विवेक
- मौद्रिक स्थिरता
- सार्वजनिक निवेश पर विशेष जोर
- सरकार के कार्यों से नागरिकों को लाभ
- घरेलू विनिर्माण क्षमता

युवा शक्ति को समर्पित बजट

सरकार का ‘संकल्प’

किसान, महिला, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान केंद्रित करना

पहला कर्तव्य	दूसरा कर्तव्य	तीसरा कर्तव्य
आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे धारणीय रखना	हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना	सबका साथ सबका विकास का सपना

पहला कर्तव्य
- उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना
- परिवर्तनशील वैश्विक परिस्थितियों के विरूद्ध प्रतिरोधक क्षमता

दूसरा कर्तव्य
- लोक क्षमता निर्माण
- भारत की समृद्धि के पथ पर लोगों की मजबूत भागीदारी

तीसरा कर्तव्य
- यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर के पास संसाधनों, सुविधाओं और सार्थक भागीदारी के अवसरों तक पहुंच हो

निरंतर, अनुकूल और भविष्योन्मुखी

सुदृढ़ और प्रतिरोधी वित्तीय क्षेत्र

बेहतर शासन हेतु बल आवर्धक

संरचनात्मक सुधारों की गति बनाए रखना

बचत करना,

पूंजी का कुशल आबंटन और जोखिमों का प्रबंधन

एआई अनुप्रयोगों सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां

भारत की सुधार एक्सप्रेस

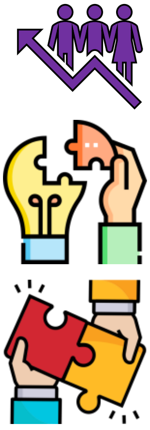

- सरकार ने रोजगार का सृजन करने, उत्पादकता और विकास को गति तीव्र प्रदान करने की दिशा में **व्यापक आर्थिक सुधार** किए हैं
- जीएसटी के सरलीकरण, श्रम संहिताओं और अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के विवेकीकरण सहित लगभग 350 सुधार किए गए हैं
- उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया गया है
- केंद्र सरकार गैर-विनियमन और अनुपालन अपेक्षाओं को कम करने के संबंध में राज्य सरकारों के साथ काम कर रही है

वृद्धि और विकास के स्तंभ

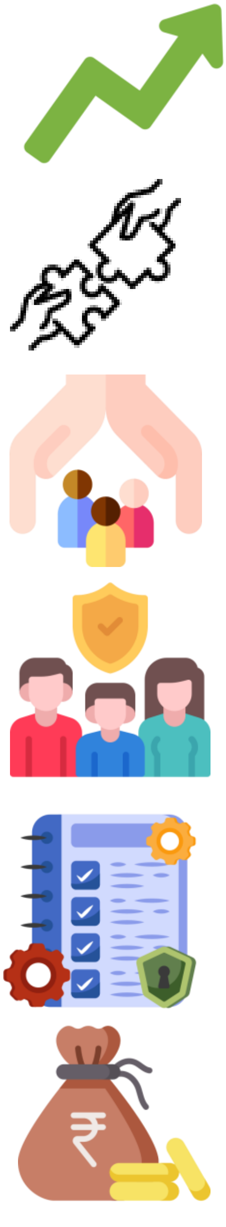

आर्थिक वृद्धि बनाए रखना

विकास की बुनियाद को मजबूत करना

जन-केंद्रित विकास

विश्वास आधारित शासन व्यवस्था

व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता

राजकोषीय मामले

1. आर्थिक वृद्धि बनाए रखना

1.1 विनिर्माण-कार्यनीतिक और अग्रणी क्षेत्र

बायोफार्मा शक्ति

सीपीएसई में हाई-टेक टूल रूम

रेयर अर्थ पर्मानेंट मैंगनेट, अनुसंधान, खनन, प्रसंस्करण और विनिर्माण के लिए स्कीम

कंटेनर विनिर्माण की स्कीम

घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए 3 समर्पित रासायनिक पार्क

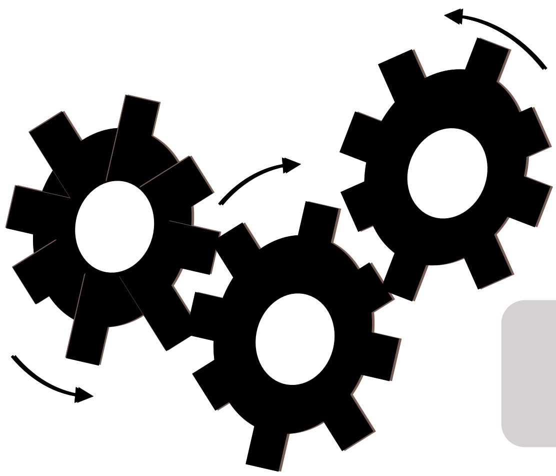

वस्त्र उद्योग के लिए एकीकृत कार्यक्रम

खेलकूद के किफायती सामानों के विनिर्माण के लिए समर्पित पहल

इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेंट्स विनिर्माण स्कीम

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) 2.0

उच्च मूल्य और प्रौद्योगिकी उन्नत निर्माण और अवसंरचना उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना

200 पुराने उद्योग समूहों को पुनर्जीवित करने की स्कीम

विनिर्माण क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए कर सुधार

किसी आबद्ध जोन में टोल विनिर्माता को पूंजीगत वस्तुओं, उपकरणों या टूलिंग उपलब्ध करवाने वाले अनिवासी को पाँच वर्षों के लिए आयकर पर छूट

आबद्ध वेयरहाउस में कंपोनेंट वेयरहाउसिंग के लिए अनिवासी को से हार्बर उपलब्ध करवाना

भरोसेमंद विनिर्माताओं के लिए आस्थगित शुल्क भुगतान

निर्यात के लिए समुद्री खाद्य उत्पादों की प्रोसेसिंग करने के लिए प्रयुक्त विनिर्दिष्ट निविष्टियों के लिए शुल्क मुक्त आयात की सीमा को पिछले वर्ष के निर्यात कारोबार के एफओबी मूल्य के मौजूदा 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत करना

चमड़े या सिंथेटिक फुटवियर के अलावा शू-अपर्स के निर्यात के लिए विनिर्दिष्ट निविष्टियों के लिए शुल्क मुक्त आयात की सुविधा

चमड़ा और वस्त्र पोशाक, चमड़ा और सिंथेटिक फुटवियर के निर्यातकों के संबंध में अंतिम रूप से तैयार उत्पाद के निर्यात के लिए मौजूदा समय को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष किया जाना

माइक्रोवेब ओवन के विनिर्माण में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट पार्टों पर बेसिक सीमा-शुल्क से छूट प्रदान किया जाना

एयरक्राफ्ट विनिर्माण में प्रयुक्त कम्पोनेंट और पार्टों पर बेसिक सीमा-शुल्क से छूट

अनुरक्षण, मरम्मत में प्रयुक्त हवाईजहाज के कलपुर्जों के विनिर्माण अथवा रक्षा इकाइयों की समग्र अपेक्षाओं के संबंध में आयातित कच्ची सामग्रियों पर बेसिक सीमा-शुल्क ड्यूटी पर छूट

लम्बे समय से विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं वाले नियमित आयातकों को जोखिम प्रणाली में मान्यता दिया जाना

इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग का इस्तेमाल कर रहे निर्यात कार्गो को फैक्ट्री परिसर से जहाज तक जाने के लिए अनापत्ति प्रदान की जाएगी

एसईजेड के पात्र विनिर्माण यूनिटों द्वारा ड्यूटी की रियायती दर पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री की सुविधा हेतु एक बारगी विशेष उपाय

एमएसएमई को 'चैम्पियन्स' के रूप में विकास करने में सहायता हेतु त्रिआयामी दृष्टिकोण

इक्विटी सहायता

- ₹10,000 करोड़ की समर्पित एसएमई विकास निधि
- ₹2,000 करोड़ से आत्मनिर्भर भारत निधि (2021) का टॉपअप

पेशेवर सहायता

किफायती लागत पर अनुपालन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एमएसएमई को सहायता देने हेतु विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 कस्बों में 'कारपोरेट मित्र' तैयार करने के लिए सरकार पेशेवर संस्थानों को मदद करेगी

ट्रेड्स के माध्यम से नकदी सहायता

- अन्य कारपोरेट के लिए बैंचमार्क के रूप में कार्यरत सीपीएसईएस द्वारा एमएसएमई से सभी खरीद के लिए लेनदेन निपटान प्लेटफार्म के रूप में ट्रेड्स को अधिदेशित करना
- ट्रेड्स प्लेटफार्म पर बीजक छूट हेतु सीजीटीएमएसई के माध्यम से क्रेडिट गारंटी सहायता शुरू करना
- सस्ते और तीव्र वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने के लिए ट्रेड्स के साथ जेम को जोड़ना
- एक द्वितीयक बाजार के विकास के लिए संपत्ति –समर्थित प्रतिभूतियों के रूप में ट्रेड्स प्राप्तियां और नकदी प्रवाह बढ़ाना तथा लेनदेन का निपटान

कर प्रस्ताव- कुरियर निर्यात पर प्रति खेप ₹10 लाख की वर्तमान मूल्य सीमा को समाप्त करना

1.2 सेवा क्षेत्र पर पुनः जोर देना

सेवा क्षेत्र

विकसित भारत के मुक्त कारक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए **उच्च अधिकार प्राप्त 'शिक्षा से रोजगार और उद्यम' स्थायी समिति**

स्वास्थ्य

दस विषयों में संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों (एएचपी) के लिए नए संस्थानों का उन्नयन और स्थापना

देखभाल परिवेश

1.5 लाख बहुकुशल देखभाल कर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न एनएसक्यूएफ – आधारित कार्यक्रम तैयार करना

चिकित्सा पर्यटन

निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी में चिकित्सा मूल्य पर्यटन हेतु पांच केंद्रों की स्थापना में राज्यों को सहायता देने के लिए योजनाएं

आयुष

प्रमाणन परिवेश के उच्च मानकों के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, आयुष फार्मेसी तथा औषधि जाँच प्रयोगशालाओं का उन्नयन तथा डब्ल्यूएचओ वैश्विक पारंपरिक दवा केंद्र का उन्नयन

ऑरेंज अर्थव्यवस्था

15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशालाओं की स्थापना

डिजाइन

भारत के पूर्वी क्षेत्र में चुनौती मार्ग के माध्यम से नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना

खेलकूद

खेलो इंडिया मिशन – एकीकृत प्रतिभा विकास मार्ग, व्यवस्थित प्रशिक्षण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकरण तथा खेलकूद संबंधी अवसंरचना का विकास

शिक्षा

शिक्षा बड़े औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक गलियारे के आसपास 5 **विश्वविद्यालय टाउनशिप का विकास**

प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा एसटीईएम संस्थानों **में महिला छात्रावास**

चार **टेलिस्कोप अवसंरचना सुविधाओं** की स्थापना अथवा उन्नयन

पर्यटन

शिक्षा जगत, उद्योग तथा सरकार के बीच सेतु के रूप में राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना

20 विशेष पर्यटन स्थलों में **10,000 गाइडों के कौशल विकास के लिए पायलट स्कीम**

सभी महत्वपूर्ण स्थानों के डिजिटल दस्तावेज बनाने के लिए **राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड**

चुनिंदा राज्यों में पारिस्थितिकी रूप से संधारणीय **माउंटेन ट्रेल्स, टर्टल ट्रेल्स और बर्ड वाचिंग ट्रेल्स विकसित करना**

भारत पहली बार ग्लोबल बिग केट समिट आयोजित करेगा

15 **पुरातत्वीय स्थलों** को जीवंत, अनुभवजन्य सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करना

पूर्वोत्तर क्षेत्र में **बुद्ध सर्किट विकसित करना**

सेवा क्षेत्र को बल देने के लिए कर सुधार

- 15.5 प्रतिशत के समान सुरक्षित हार्बर मार्जिन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की एकल श्रेणी के अंतर्गत सेवाओं को साथ जोड़ना
- आईटी सेवाओं के लिए सुरक्षित हार्बर सीमा 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए करना
- स्वचालित नियम प्रेरित प्रक्रिया द्वारा आईटी सेवाओं के लिए सुरक्षित हार्बर का अनुमोदन
- कंपनी के चयन पर पाँच वर्षों की अवधि के लिए सुरक्षित हार्बर जारी रखना
- आईटी सेवाओं के लिए एकपक्षीय एपीए प्रक्रिया की फास्ट ट्रेकिंग जिसका उद्देश्य इसे दो वर्षों की अवधि में समाप्त करना है। इसे करदाता के अनुरोध पर और 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है
- एपीए लाभान्वित इकाइयों के लिए संशोधित विवरणियों की सुविधाओं का विस्तार इनकी संबद्ध इकाइयों तक करना
- भारत आधारित डाटा सेंटर सेवाओं के माध्यम से वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड्स सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों को वर्ष 2047 तक कर राहत का प्रावधान। भारत से डाटा सेंटर सेवाएं प्रदान करने वाली संबद्ध इकाइयों को लागत पर 15 प्रतिशत सुरक्षित हार्बर प्राप्त होगा
- अधिसूचित योजनाओं के अंतर्गत 5 वर्ष के लिए निवास की अवधि के संबंध में अनिवासी विशेषज्ञ की वैश्विक आय पर छूट

वित्तीय क्षेत्र

भारत के अगले विकास चरण के अनुरूप **विकसित भारत के लिए बैंकिंग संबंधी उच्च स्तरीय समिति** का गठन

₹1000 करोड़ से अधिक के म्युनिसिपल बांड्स के एकल निर्गम के लिए ₹ 100 करोड़ का प्रोत्साहन अमृत के तहत वर्तमान योजना जारी रहेगी	पॉवर फाइनेंस कारपोरेशन और रूरल ग्रामीण विद्युत निगम कारपोरेशन का पुनर्गठन	विदेशी विनिमय प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) (फेमा) नियमावली की व्यापक समीक्षा	बाजार निर्माण ढांचा और कारपोरेट बांड पर कुल रिटर्न स्वैप की शुरूआत

वित्तीय क्षेत्र के लिए कर प्रस्ताव

- फ्यूचर्स पर एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करना
- ऑप्सन प्रीमियम और ऑप्सन के चयन पर एसटीटी की दर क्रमशः 0.1% और 0.125% से बढ़ाकर 0.15% करना

1.3 कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाना

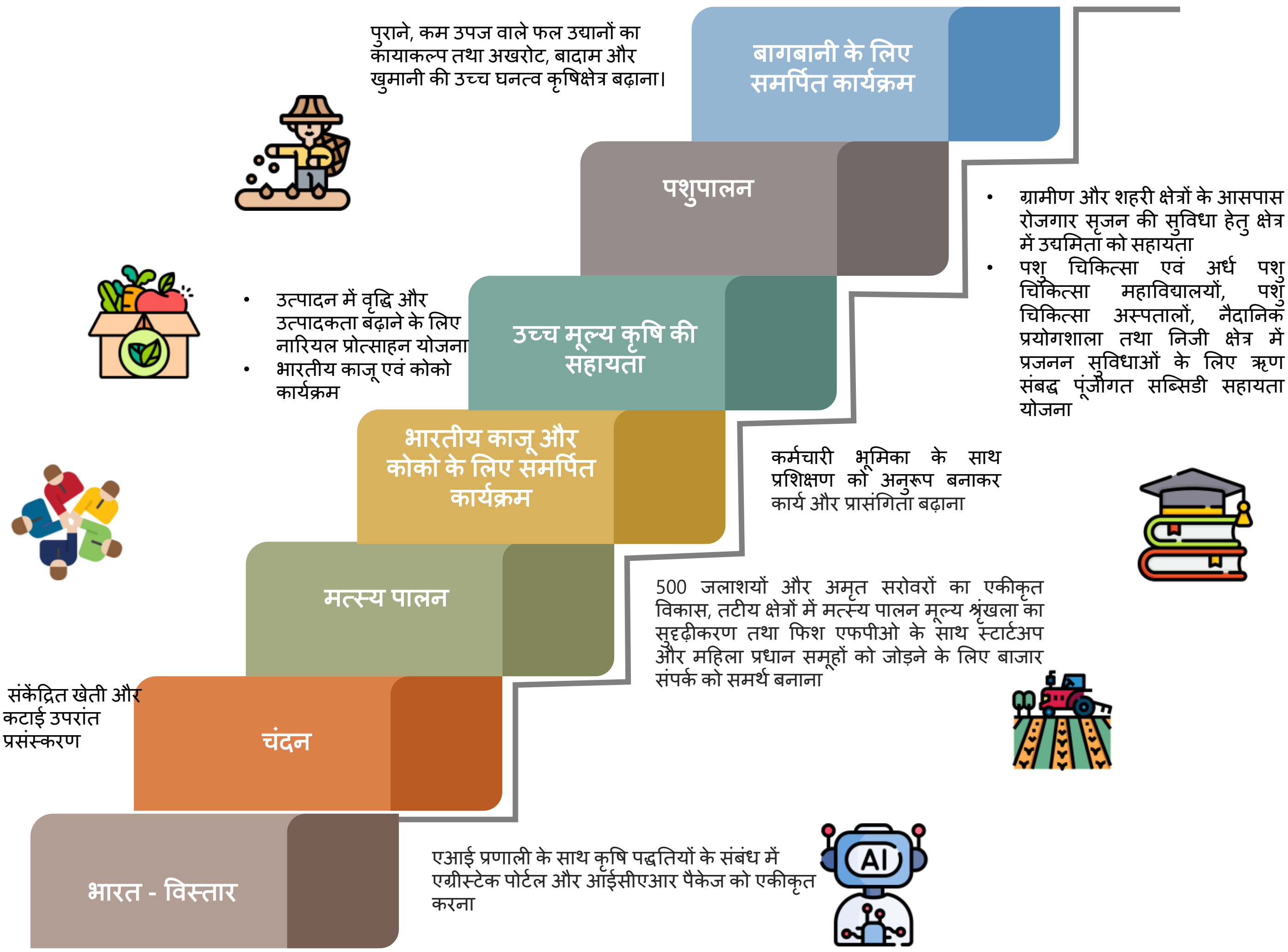

कर प्रस्ताव

- अनन्य आर्थिक क्षेत्र या गहरे समुद्र में भारतीय मत्स्य जलयानों द्वारा पकड़ी गई मछलियों को ड्यूटी मुक्त करना। विदेशी पत्तन पर ऐसी मछलियों की लैडिंग को वस्तुओं का निर्यात मानना।
- सदस्यों द्वारा पशुचारा की आपूर्ति तथा उत्पादित कपास बीजों को शामिल करने के लिए संबद्ध प्राथमिक सहकारी समितियों को छूट प्रदान करना।
- अंतर-सहकारी समिति के लाभांश आय को नई कर व्यवस्था के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमति देना जो इसके सदस्यों में वितरित कि जाएगी।
- तीन वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 31.1.2026 तक अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी परिसंघ द्वारा कंपनियों में किए गए निवेश पर प्राप्त लाभांश आय पर छूट। छूट की अनुमति केवल इसके सहकारी सदस्यों को वितरित लाभांश के लिए होगी।

विकास के आधारों का सुदृढ़ीकरण

2.1अवसंरचना

सार्वजनिक अवसंरचना को बड़े पैमाने पर बढ़ाने हेतु विभिन्न पहल – आईएनवीआईटी, आरईआईटी, एनआईआईएफ और एनएबीएफआईडी

5 लाख की जनसंख्या से अधिक आबादी वाले शहरों (टियर II और टियर III) में अवसंरचना के विकास पर ध्यान

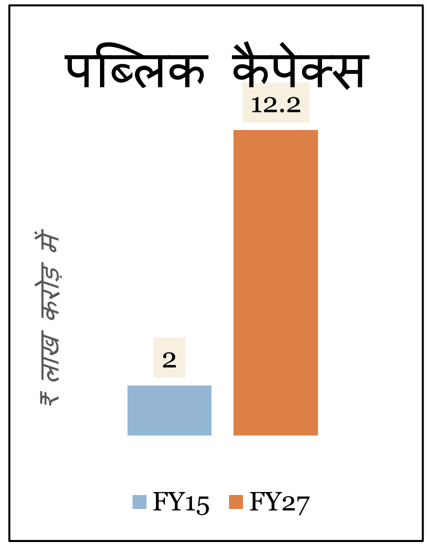

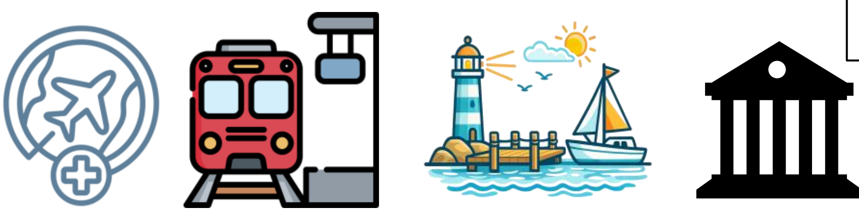

- ❖ ऋणकर्ताओं को सुव्यवस्थित आंशिक क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए और संरचना जोखिम गारंटी निधि स्थापित करना।
- ❖ समर्पित आरईआईटी की स्थापना करके सीपीएसई की रियल स्टेट आस्तियों की रिसाइकिलिंग करना।
- ❖ पूर्व में डाकुनी से लेकर पश्चिम में सूरत को जोड़ने वाले एक नए समर्थित माल ढुलाई गलियारे की स्थापना करना।
- ❖ प्रचुर खनिज वाले इलाकों, औद्योगिकी केंद्रों और पत्तनों को जोड़ने के लिए 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू करना
- ❖ अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए काम करने वाले जहाज मरम्मत परिवेश स्थापित करना।
- ❖ अंतर्देशीय जलमार्गों और तटवर्ती शिपिंग के शेयरों की हिस्सेदारी को वर्ष 2047 तक 6% से बढ़ाकर 12% करने के लिए तटवर्तीय कार्गो संवर्धन स्कीम शुरू करना।
- ❖ स्वदेशी विनिर्माण को वढ़ावा देने के लिए समुद्री जहाज वीजीएफ स्कीम शुरू करना।
- ❖ एसएएससीआई स्कीम के अंतर्गत राज्यों को ₹2 लाख करोड़ की सहायता देना।
- ❖ पूर्वोदय: एकीकृत पूर्वी तटीय औद्योगिक कोरिडोर का विकास

2.2 दीर्घावधिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना

- 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कार्बन कैप्चर उपभोग और भंडारण (सीसीयूएस) अपनाने की स्कीम
- सोलर ग्लास के विनिर्माण में प्रयुक्त सोडियम एंटीमोनैट के आयात पर बीसीडी की छूट
- भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए अपेक्षित पूंजीगत सामानों के आयात पर बीसीडी छूट

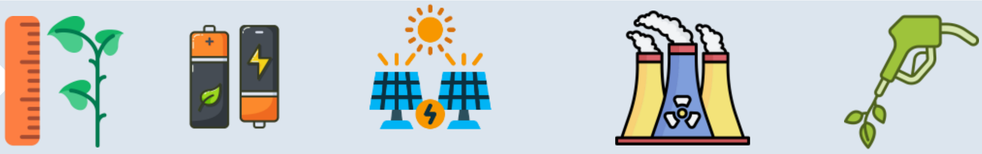

- बैट्री ऊर्जा भंडारण प्रणाली में प्रयोग किए जाने के लिए लिथियम आयन सेल बैटरियों के विनिर्माण में प्रयुक्त पूंजीगत सामानों के लिए बीसीडी छूट देना
- वर्ष 2035 तक नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अपेक्षित सामानों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क रियायत का विस्तार करना और यह सुविधा सभी नाभिकीय संयंत्रों के लिए उनकी क्षमता के निरपेक्ष लागू करना
- बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर देय केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बायोगैस के संपूर्ण मूल्य को छोड़ना

2.3 शहरीकरण-शहरी आर्थिक क्षेत्र

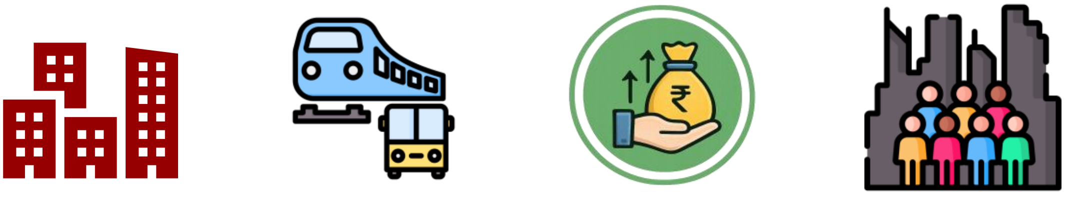

- ❖ सामूहिक आर्थिक शक्ति प्रदान करने की शहरों की क्षमता बढ़ाना
- ❖ टीयर II, टीयर III शहरों तथा तीर्थ नगरों पर फोकस
- ❖ वृद्धि संयोजक-शहरों के बीच 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर- मुंबई-पूने, पूने-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरू, दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी- पर्यावरण अनुकूल यात्री प्रणालियां

3. जन-केंद्रित विकास

जरण और संबद्ध देखभाल सेवाओं को शामिल करके एक मजबूत सेवा इकोसिस्टम का निर्माण करना। 1.5 लाख बहुकुशल देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित करना

समूह स्तरीय संघों के भीतर समुदाय आधारित खुदरा आउटलेट के रूप में स्थापित स्वयं सहायता उद्यमिता (एसएचई) मार्ट

दिव्यांगजन कौशल योजना- उद्योगों के माध्यम से सम्मानजनक आजीविका अवसर उपलब्ध करवाने और दिव्यांग समूहों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना।

दिव्यांग सहारा योजना- सभी पात्र दिव्यांगजनों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरणों तक समयबद्ध पहुंच

सहायक उपकरणों का उत्पादन बढ़ाना, आर एंड डी में निवेश और एआई एकीकरण के लिए भारत कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एएलआईएमसीओ) को सहायता देना।

आधुनिक रिटेल-स्टाइल केंद्रों के रूप में पीएम दिव्यांग केंद्रों को मजबूत करना

उत्तर भारत में निमहांस-2 की स्थापना करना और रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को स्तरोन्नत करना

जिला अस्पतालों में आपातकालीन और ट्रॉमा केयर स्थापित करना

4. विश्वास आधारित शासन

टीयर 2 और टीयर 3 प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए ड्यूटी डेफरल अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करना। पात्र विनिर्माता- आयातक को समान ड्यूटी डेफरल सुविधा मिलेगी। सरकारी एजेंसियों को एईओ प्रत्यायन का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

स्वघोषणा इत्यादि के साथ कस्टम वेयर हाउसिंग फ्रेमवर्क का वेयरहाउस ऑपरेटर केंद्रित प्रणाली में रूपांतरण

सीमा शुल्क पर बाध्यकारी उन्नत नियमन की वैधता अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करना

भरोसेमंद आयातक द्वारा दर्ज बिल की फाइलिंग और सामानों के आगमन को स्वचालित रूप से सूचित करना

भरोसेमंद लंबी आपूर्ति चेन वाले नियमित आयातकों को जोखिम प्रणाली में मान्य किया जाएगा ताकि उनके कार्गो के हर बार सत्यापन की प्रक्रिया को कम किया जा सके।

5. व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता

- ✓ इंडिबिजुअल पर्सन्स रेजिडेंड आउटसाइड इंडिया (पीआरओआई) को फोर्टफोलियो निवेश स्कीम (पीआईएस) के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के इक्विटी लिखतों में निवेश की अनुमति दी जाएगी
- ✓ वास्तविक व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा अधिनिर्णित ब्याज को आयकर से छूट दी जाएगी और इस प्रयोजनार्थ कोई टीडीएस प्रभारित नहीं किया जाएगा
- ✓ विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस दर को बिना किसी धनराशि के निर्धारण के 5% और 20% से घटाकर 2% कर दिया जाएगा
- ✓ उदारीकृत धन प्रेषण योजना के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए टीसीएस को 5% से घटाकर 2% कर दिया जाएगा
- ✓ जनशक्ति सेवाओं की प्रदायगी पर टीडीएस को या तो 1% या 2% रखा जाएगा
- ✓ छोटे करदाताओं के लिए नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से कम या शून्य कटौती प्रमाणपत्र प्रदान करने की सुविधा दी जाएगी
- ✓ अनेक कंपनियों में प्रतिभूति धारित करने वाले करदाता से फार्म 15जी और 15एच स्वीकार करने के लिए न्यासों को सक्षम बनाया जाएगा
- ✓ संशोधित रिटर्न के लिए उपलब्ध समय को मामूली शुल्क के भुगतान के साथ 31 दिसम्बर से बढ़ाकर 31 मार्च किया गया
- ✓ आईटीआर 1 और आईटीआर 2 दाखिल करने वाले व्यक्ति के लिए 31 जुलाई तक और लेखापरीक्षित व्यवसायों अथवा न्यासों के लिए 31 अगस्त तक की समय सीमा की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है
- ✓ किसी अनिवासी द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री पर काटे जाने वाले टीडीएस को टैन के स्थान पर निवासी क्रेता के पैन के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
- ✓ छोटे करदाताओं के लिए एक निश्चित आकार से कम मूल्य वाले विदेशी आस्ति प्रकटन के लिए एकबारगी छह माह की अवधि का प्रावधान किया गया है
- ✓ करदाताओं को पुनर्निर्धारण कार्रवाई के आरंभ के पश्चात भी अपनी विवरणियों को संगत अवधि के लिए लागू दर के ऊपर 10 प्रतिशत अतिरिक्त कर दर पर अद्यतन करने की अनुमति होगी
- ✓ आंकड़े कम दिखाने के मामलों में दंड और अभियोजन से उन्मुक्ति संबंधी ढांचे का विस्तार गलत सूचना देने के मामले में भी किया गया है
- ✓ लेखा बही और दस्तावेज प्रस्तुत न करने तथा पीडीएस भुगतान की अपेक्षा को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है
- ✓ ₹ 20 लाख से कम कुल मूल्य के साथ गैर अचल विदेशी संपत्तियों को प्रकट नहीं करने के संबंध में 01.10.2024 से भूतलक्षी प्रभाव से मुकदमेबाजी से उन्मुक्ति दी गई है
- ✓ सभी अनिवासियों, जो अनुमानित आधार पर कर का भुगतान करते हैं, को न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) से छूट होगी
- ✓ भारतीय लेखांकन मानकों में आय गणना एवं प्रकटीकरण मानकों की अपेक्षाओं को शामिल करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की संयुक्त समिति का गठन
- ✓ सभी प्रकार के शेयरधारकों के लिए पूंजीगत लाभ के रूप में कर बायबैक हों। तथापि, प्रमोटर्स अतिरिक्त बायबैक कर का भुगतान करेंगे
- ✓ उपलब्ध एमएटी को नई व्यवस्था में कर देयता की ¼ तक समायोजित करने की अनुमति होगी
- ✓ एमएटी को अंतिम कर बनाने का प्रस्ताव है
- ✓ कैंसर रोगियों के लिए 17 ड्रग्स या दवाइयों पर बीसीडी में छूट
- ✓ कार्गो अनापत्ति अनुमोदनों के लिए एकल और अंतरसंयोजित डिजिटल विंडो
- ✓ सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली 2 वर्षों में आरंभ कर दी जाएगी
- ✓ विवाद के निपटान के इच्छुक ईमानदार करदाता अब दंड के स्थान पर अतिरिक्त राशि का भुगतान कर मामलों को बंद कर सकेंगे

6. राजकोषीय मामले

16वां वित्त आयोग

- सरकार ने 41 प्रतिशत वितरण के उर्ध्व हिस्से को बनाए रखने संबंधी आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया है।
- वित्त आयोग अनुदान के रूप में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ का प्रावधान। इनमें ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन अनुदान शामिल है।

राजकोषीय समेकन

- केंद्र सरकार वर्ष 2030 तक 50±1 की जीडीपी और ऋण का अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखेगी।
- ऋण और जीडीपी का अनुपात संशोधित अनुमान 2025-26 में जीडीपी के 56.1 प्रतिशत की तुलना में बजट अनुमान 2026-27 में जीडीपी के 55.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- राजकोषीय घाटे के संशोधित अनुमान 2025-26 में जीडीपी के 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। ऋण समेकन के नए राजकोषीय सुविचारित प्रयास के अनुरूप, बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटे के जीडीपी के 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

घाटे की प्रवृत्ति

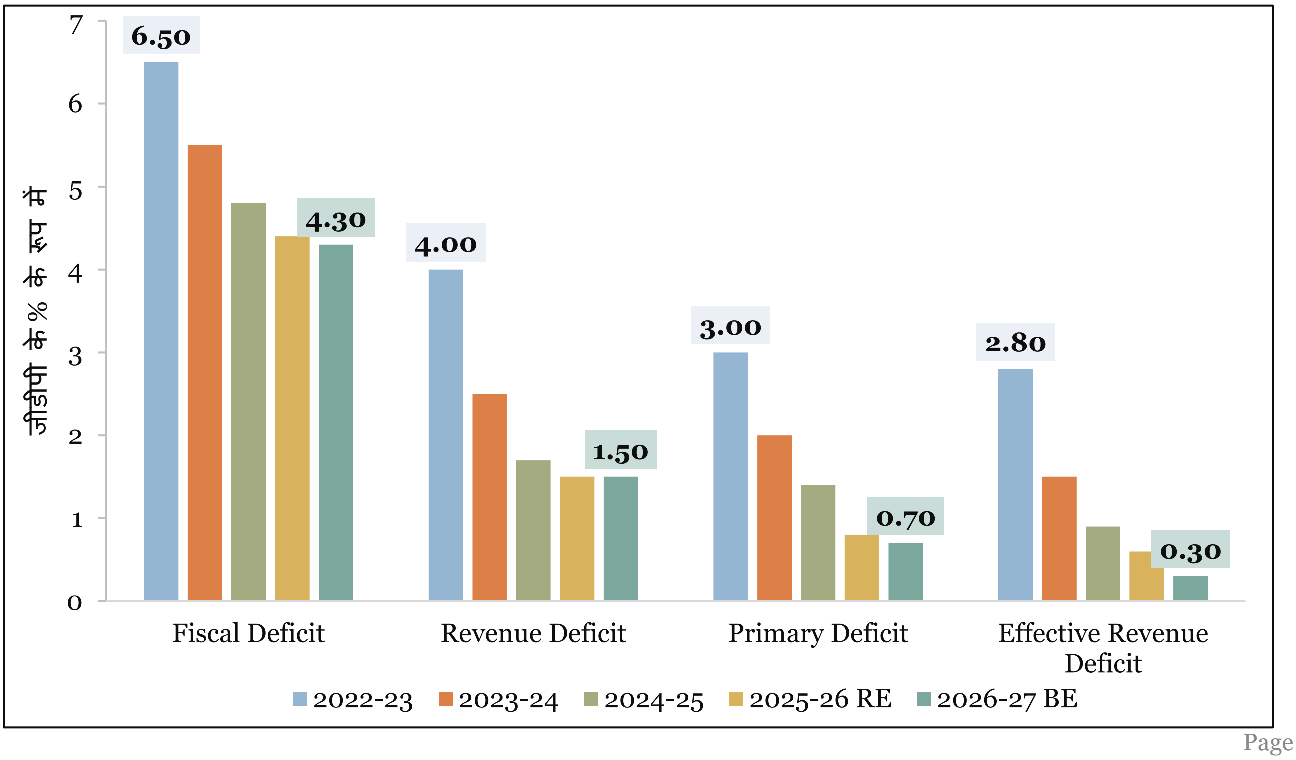

रुपया कहां से आता है

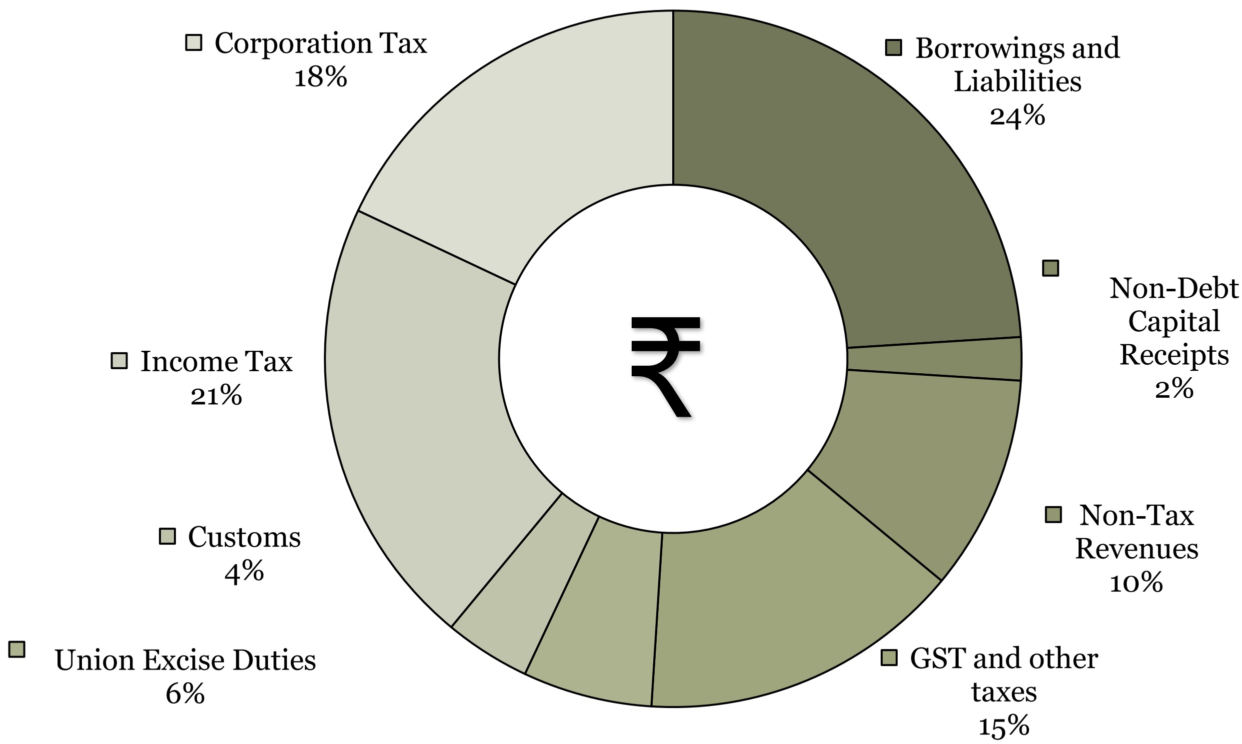

रुपया कहां जाता है

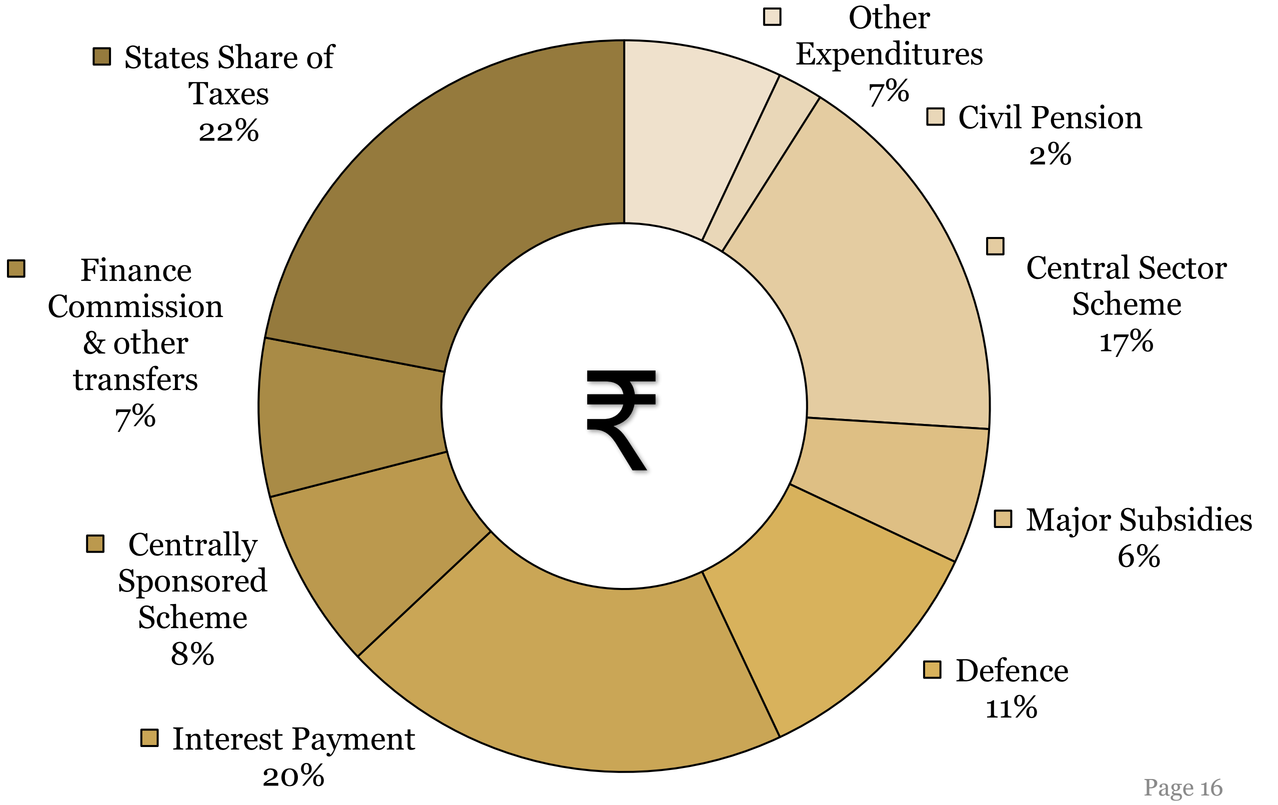

प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियां

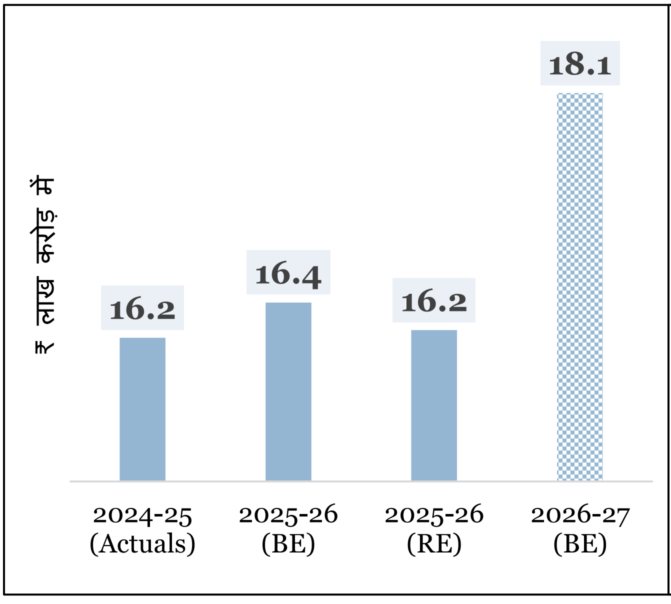

राजस्व प्राप्तियां

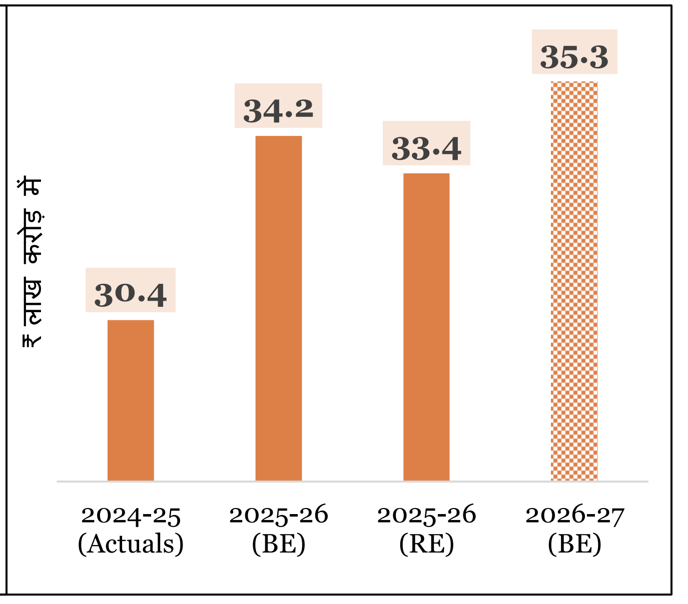

व्यय

प्रभावी पूंजीगत व्यय

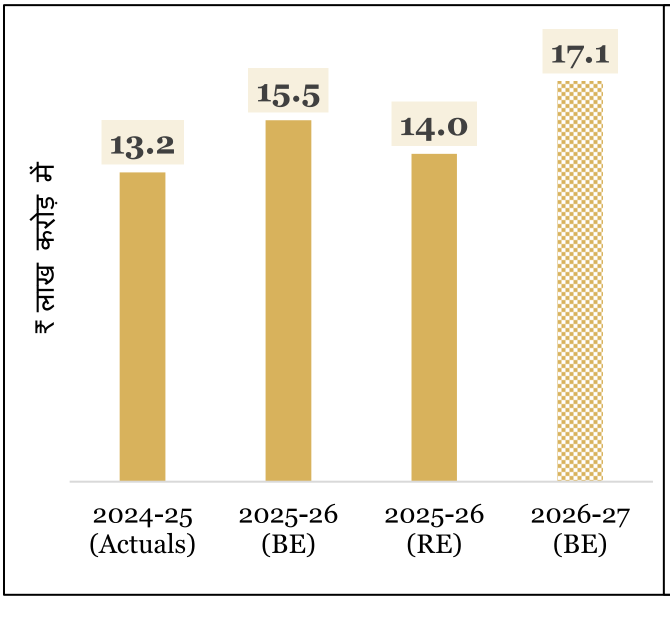

राजस्व व्यय

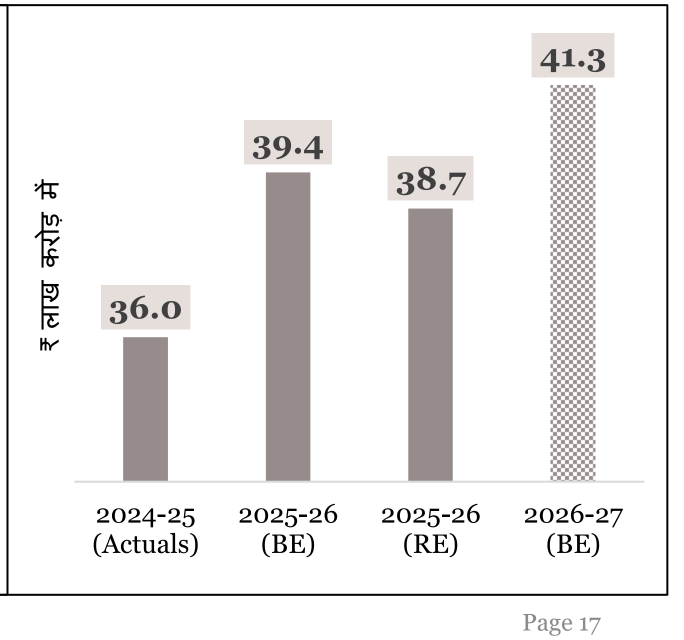

मजबूत आर्थिक आधार

केंद्र की निवल प्राप्ति की प्रवृत्ति

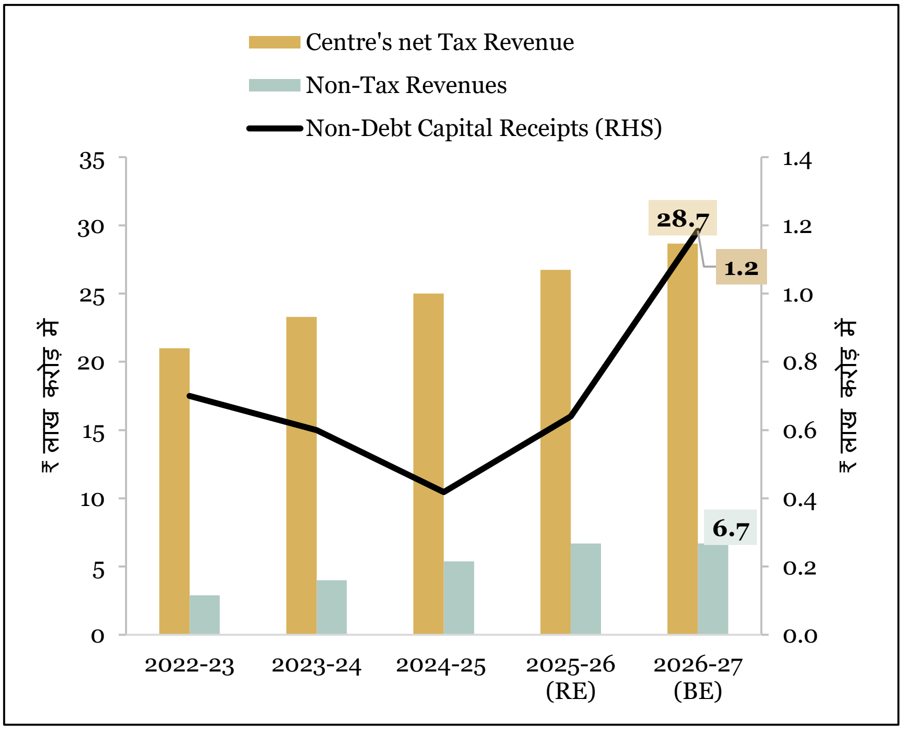

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल अंतरण

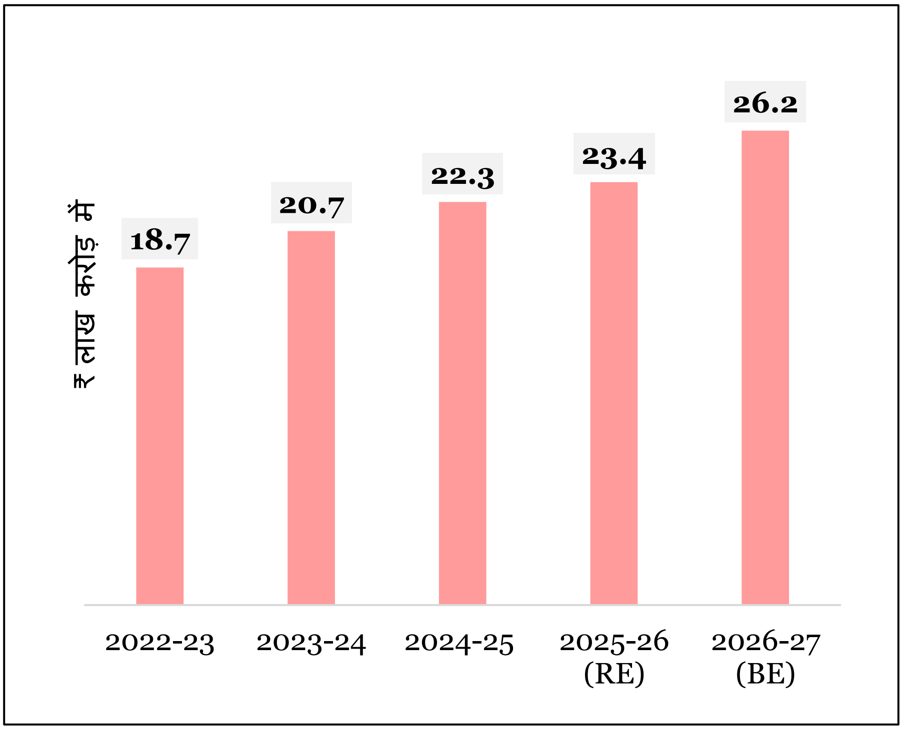

प्रमुख मदों का व्यय

₹ करोड़ में

परिवहन	5,98,520
रक्षा	5,94,585
ग्रामीण विकास	2,73,108
गृह कार्य	2,55,234
कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	1,62,671
शिक्षा	1,39,289
ऊर्जा	1,09,029
स्वास्थ्य	1,04,599
शहरी विकास	85,522
आईटी और दूरसंचार	74,560
वाणिज्य और उद्योग	70,296
सामाजिक कल्याण	62,362
वैज्ञानिक विभाग	55,756
कर प्रशासन	45,500
विदेश कार्य	22,119
वित्त	20,649
पूर्वोत्तर विकास	6,812